

पत्रांक-श्रम क० सं०-21/2018-389

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 01 स्वाभाविक मृत्यु के आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 330000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० राजेश कुमार राय, 30, सामान्य	श्री प्रेम लाल राय(पिता)	558/26.7.18	ग्रा०-डीह माधोपुर, पो०-माधोपुर, था०-पटौरी, प्र०-मोहनपुर, समस्तीपुर	1690001 7000741 06	पंजाब नेशनल बैंक, शिरदिलपुर, PUNB0169000	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण सेट्टींग मिस्त्री व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० गणेश पासवान, 52, स्व० मनक पासवान, अनु० जाति	श्रीमती बनारसी देवी(पत्नी)	559/26.7.18	ग्रा०-चान्धरपुर, पो०-मुक्तापुर, था०+प्र०-कल्याणपुर, समस्तीपुर	4587101 000538	केनरा बैंक, बलभद्रपुर खजूरी CNRB0004587	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मिस्त्री का हेल्पर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० मनोज चौधरी, 39, श्री संतलाल चौधरी, अनु० जाति	श्रीमती संजु देवी(पत्नी)	560/26.7.18	ग्रा०-जहांगीरपुर तकिया, पो०-अन्दौर, था०+प्र०-मोहिउदीन नगर, समस्तीपुर	0782010 392549	United Bank of India, मोहिउदीन नगर, UTBIOHHD496	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मिस्त्री का हेल्पर व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० इदरिश मियां, 44, स्व० गफूर मियां, सामान्य	श्रीमती हसीमा बीबी(पत्नी)	561/26.7.18	ग्रा०+पो०-कुरशाहा, था०+प्र०-मोहिउदीन नगर, समस्तीपुर	1858101 0001995 3	आन्ध्रा बैंक, मोहिउदीन नगर, ANDB0001858	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण श्रमिक व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 330000/-

(तीन लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-21/2018 के पृष्ठ-14/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

₹०/-
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

₹०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

₹०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-21/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित

करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-21/2018-389


पटना, दिनांक :- 21-8-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए। लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 330000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को उनके ज्ञापांक 558, 559, 560, 561 दिनांक 26.07.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


20-8-18
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक


(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।